

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय/शालादर्पण/2022/1640

दिनांक :- 30/09/2022

**MOST URGENT**

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
समसा, समस्त जिले

**विषय:-** 02 अक्टूबर, 2022 गांधी जयन्ती के अवसर पर सर्व धर्म प्रार्थना सभा कार्यक्रम के संभागियों की संख्यात्मक सूचना शाला दर्पण पोर्टल एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

**प्रसंग:-** शिविरा/माध्य/मा-स/AKAM/2022/143 दिनांक 27.09.2022 एवं शिविरा/माध्य/ मा-स/AKAM/2022/140 दिनांक 27.09.2022

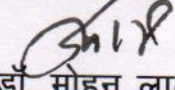
उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि, राज्य सरकार के निर्देशानुसार 02 अक्टूबर, 2022 गांधी जयन्ती के अवसर पर राजस्थान के समस्त विद्यालयों (राजकीय एवं गैर राजकीय) में प्रातः 09.00 बजे से सर्व धर्म प्रार्थना सभा कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा एक ही समय में एक साथ तीन प्रार्थनाओं को सामूहिक गायन करवाया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य, जिला एवं ब्लॉक तथा स्कूल स्तर पर आयोजित होगा।

उक्त कार्यक्रम को वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु इसमें भाग लेने वाले संभागियों का डाटा संकलन शाला दर्पण पोर्टल एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिये दिनांक 02.10.2022 को प्रातः 09.00 बजे से दोनों पोर्टल पर पॉप-अप विण्डो प्रारम्भ की जायेगी जिसमें कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त संभागियों (विद्यार्थियों, कार्मिकों, अभिभावक/आगन्तुक अतिथि) की संख्यात्मक सूचना प्रविष्टि की जानी है। इसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स राज्य, जिला, ब्लॉक कार्यालयों के शाला दर्पण लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायेंगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 02 अक्टूबर, 2022 गांधी जयन्ती को प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुये निम्नानुसार पॉप-अप विण्डों में प्रातः 11.00 बजे तक अनिवार्यतः शत प्रतिशत प्रविष्टियां सुनिश्चित करावें।

| क्र.स. | कार्यक्रम स्तर            | जिनके द्वारा प्रविष्टियां की जायेगी                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | राज्य स्तरीय कार्यक्रम    | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर के शाला दर्पण लॉगिन से।                                                                                                                                                                                      |
| 2      | जिला स्तरीय कार्यक्रम     | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जिला के शाला दर्पण लॉगिन से।                                                                                                                                                                             |
| 3      | ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम    | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक के शाला दर्पण लॉगिन से।                                                                                                                                                                           |
| 4      | विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम | <ul style="list-style-type: none"> <li>समस्त PEEO/UCEE के द्वारा स्वयं के विद्यालय के साथ-साथ अधिनस्थ विद्यालयों की प्रविष्टि स्वयं के शाला दर्पण लॉगिन से की जायेगी।</li> <li>उक्त के अतिरिक्त शेष रा.उ.मा.वि./संस्कृत शिक्षा/TAD</li> </ul> |

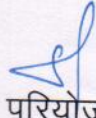
|  |  |                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | विद्यालय/SJE विद्यालय/अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालय एवं समस्त निजी विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय की प्रविष्टि स्वयं के शाला दर्पण/PSP पोर्टल लॉगिन से की जायेगी। |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 (डॉ. मोहन लाल यादव)  
 राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय/शालादर्पण/2022/1641  
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 30/09/2022

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राज.।
4. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
6. उपायुक्त (PSP), राज. स्कूल शिक्षा परिषद्-जयपुर को निजी विद्यालयों द्वारा मॉड्यूल में शत-प्रतिशत प्रविष्टियां सुनिश्चित करवाने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी-शिक्षा संकुल जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग, राजस्थान।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि./मा.शि., राजस्थान।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले, राजस्थान।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, समस्त ब्लॉक, राजस्थान।
12. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्-जयपुर को OIC के रूप में आवंटित जिलों में प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु।
13. अनुभाग अधिकारी (मॉनिटरिंग एवं शाला दर्पण), मा.शि./प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर।
14. समस्त PEEO/UCCEO एवं संस्था प्रधान राजकीय एवं निजी विद्यालय, राजस्थान
15. समस्त संस्था प्रधान संस्कृत शिक्षा/TAD विद्यालय/SJE विद्यालय/अल्पसंख्यक मामलात विभाग के विद्यालय
16. रक्षित पत्रावली।

  
 अति.राज्य परियोजना निदेशक

# कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/मा-स/AKAM/2022/143

दिनांक 21/09/2022

उप निदेशक

शाला दर्पण प्रकोष्ठ

शिक्षा संकुल, जयपुर।

- विषय — 02 अक्टूबर, 2022 गांधी जयन्ती के अवसर पर सर्व धर्म प्रार्थना सभा आयोजित कार्यक्रम को विश्व रिकार्ड में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही बाबत।
- प्रसंग — प्रमुख शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जयपुर की अ.शा. टीप क्रमांक: प.27(2)क.सं./2021 पार्ट प्रथम जयपुर दिनांक : 24.09.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि 02 अक्टूबर, 2022 गांधी जयन्ती के अवसर पर राजस्थान के समस्त राजकीय (राप्रावि/राबाप्रावि/राउप्रावि/राबाउप्रावि/राउमावि/महात्मा गांधी/विवेकानन्द मॉडल स्कूल) व समस्त गैर-राजकीय विद्यालयों में प्रातः 11.00 बजे पर एक ही समय में एक साथ तीन प्रार्थनाओं का सामूहिक गायन करवाया जाएगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। उक्त तीन प्रार्थनाओं के सामूहिक गायन कार्यक्रम को विश्व रिकार्ड में सम्मिलित किए जाने हेतु उप निदेशक, शाला दर्पण, जयपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है :-

- प्रभारी अधिकारी अन्य विभागों के अधिकारियों से यथा समय समन्वय स्थापित कर रिकार्ड टीम से समन्वय कर इवेंट रिकार्ड की व्यवस्था करवाएंगे।
- शाला दर्पण पोर्टल एवं पी.एस.पी. पोर्टल पर समस्त स्तरों पर भाग लेने वाले अतिथियों, अधिकारियों, कार्मिकों व विद्यार्थियों की संख्यात्मक सूचना एवं फोटो/वीडियो अपलोड करने हेतु मॉड्यूल तैयार करवाया जाएगा। एनआईसी से सम्पर्क कर मॉड्यूल तैयार करवाएंगे। इसी प्रकार निजी विद्यालयों के लिए भी पीएसपी पोर्टल पर मॉड्यूल तैयार करवाएंगे।
- उक्त मॉड्यूल को इस प्रकार तैयार करवाया जाए, जिससे स्कूल शिक्षा से भाग लेने वालों की संख्या का तत्काल ही आकलन हो सके।
- उक्त मॉड्यूल में प्रविष्टि करने बाबत ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर यह कार्य स्कूल शिक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा नामित सह प्रभारी द्वारा यह कार्य किया जाएगा। इसकी ट्रेनिंग शाला दर्पण प्रभारी द्वारा दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के 5-5 फोटों व वीडियो (जो 02 मिनट से ज्यादा न हो) को भी अपलोड की व्यवस्था की जाए

उल्लिखितानुसार विश्व रिकार्ड में सम्मिलित किए जाने हेतु करणीय कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करावें।

(गौरव अग्रवाल)

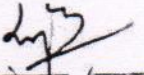
आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

7. समस्त जिला कलक्टर।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-6) विभाग, जयपुर।
9. समस्त उपखण्ड अधिकारी।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में 02 अक्टूबर, 2022 के कार्यक्रम सम्पन्न होने के साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित मॉड्यूल में प्रविष्टि करवाने का प्रभावी प्रबोधन करते हुए यथासमय प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करेंगे।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में 02 अक्टूबर, 2022 के कार्यक्रम सम्पन्न होने के साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित मॉड्यूल में प्रविष्टि करवाने का प्रभावी प्रबोधन करते हुए यथासमय प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करेंगे।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में 02 अक्टूबर, 2022 के कार्यक्रम सम्पन्न होने के साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित मॉड्यूल में प्रविष्टि करवाने का प्रभावी प्रबोधन करते हुए यथासमय प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करेंगे।
15. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार स्वयं के विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों की शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
16. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
17. सहायक निदेशक, पीएसपी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
18. समस्त संस्था प्रधान।
19. रक्षित पत्रावली।

  
 उप निदेशक (माध्यमिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

## कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविर/माध्य/मा-रा/AKAM/2022/140

दिनांक: 21/05/2022

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्राथमिक।

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

समस्त पीईईओ/गूरीईईओ।

- विषय - 02 अक्टूबर, 2022 गांधी जयन्ती के अवसर पर सर्व धर्म प्रार्थना सभा आयोजित करने के सम्बन्ध में।
- प्रासंग - प्रमुख शारान सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जयपुर की अ.शा.टीप क्रमांक: प.27(2)क.सं./2021 पार्ट प्रथम जयपुर दिनांक: 24.09.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि 02 अक्टूबर, 2022 गांधी जयन्ती के अवसर पर राजस्थान के समस्त राजकीय (राप्रवि/रावाप्रवि/राउप्रवि/रावाउमावि/राउमावि/महात्मा गांधी/विवेकानन्द मॉडल स्कूल) व समस्त गैर-राजकीय विद्यालयों में प्रातः 11.00 बजे पर एक ही समय में एक साथ तीन प्रार्थनाओं का सामूहिक गायन करवाया जाएगा। उक्त कार्यक्रम बावत् प्राप्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :-

### 1. कार्यक्रम की पूर्व तैयारी:-

राज्य जिला, ब्लॉक व विद्यालय स्तर पर एक ही समय में एक साथ तीन प्रार्थनाओं का सामूहिक गायन करवाया जाएगा। कार्यक्रम की पूर्व तैयारी हेतु गाये जाने वाले समस्त तीन प्रार्थनाओं का अभ्यास करवाया जाने हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं :-

1. राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए तीन प्रार्थनाओं का पूर्वाभ्यास करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी संयुक्त निदेशक, जयपुर को नियुक्त किया जाता है।
2. राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रहकर तीन प्रार्थनाओं को गाने वाले विद्यार्थियों को अभ्यास करवाने हेतु राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी जयपुर जिले के विद्यार्थियों का चयन कर प्रतिदिन अभ्यास करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रम हेतु पूर्वाभ्यास करवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक को प्रभारी नियुक्त किया जाता है।
4. जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रहकर तीन प्रार्थनाओं को गाने वाले विद्यार्थियों को अभ्यास करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी विद्यार्थियों का प्रतिदिन अभ्यास अभ्यास करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. ब्लॉक स्तर पर होने वाले कार्यक्रम हेतु पूर्वाभ्यास करवाने के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया जाता है।
6. ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रहकर तीन प्रार्थनाओं को गाने वाले विद्यार्थियों को अभ्यास करवाने हेतु ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी विद्यार्थियों का चयन कर प्रतिदिन अभ्यास अभ्यास करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. विद्यालय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम हेतु पूर्वाभ्यास करवाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी/संगीत व्याख्याता/प्राचार्य द्वारा मानोनीत योग्य शिक्षक को प्रभारी नियुक्त किया जाए।
8. प्रत्येक राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम में गाए जाने वाले तीन प्रार्थनाओं को समस्त विद्यार्थियों द्वारा एक लय एवं ताल में गाए जाने हेतु प्रतिदिन आखिरी कांलांश में नियमित अभ्यास करवाया जाएगा।

2/3

9. कार्यक्रम में गाए जाने वाले तीन प्रार्थनाओं को निर्धारित कम में निर्धारित लय व बोल (लिखित) के अनुसार ही गाए जाने हैं।

**2. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग स्तर से प्रभारी अधिकारी :-**

तीन प्रार्थनाओं को एक साथ गाये जाने वाले कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग स्तर पर किए जाने वाले कार्यों हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक व विद्यालय स्तर पर निम्नांकित तालिकानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। यह प्रभारी अधिकारी इस कार्यक्रम हेतु सम्बन्धित नोडल को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे तथा प्रासंगिक पत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

| क्रम | कार्यक्रम का स्तर           | प्रभारी अधिकारी                                                                                                       |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | राज्य स्तरीय कार्यक्रम      | संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संग्राम, जयपुर                                                                    |
| 2.   | जिला स्तरीय कार्यक्रम       | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक एवं सह प्रभारी - जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक/माध्यमिक |
| 3.   | ब्लॉक स्तर स्तरीय कार्यक्रम | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी                                                                                            |
| 4.   | विद्यालय स्तर कार्यक्रम     | संस्था प्रधान                                                                                                         |

नोट - समस्त संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार में उक्त कार्यक्रम हेतु संभागीय प्रभारी रहेंगे तथा कार्यक्रम की मोनिटरिंग प्रतिदिन कर कार्यक्रम के सफल संचालन की व्यवस्था करेंगे।

➤ कार्यक्रम हेतु संभागी विद्यार्थी:-

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर तथा जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम हेतु उल्लिखित तालिका के अनुसार नामित प्रभारी अधिकारी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने विद्यालय गणवेश में राज्य, जिला (जयपुर जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने के कारण जिला स्तरीय कार्यक्रम पृथक से नहीं होगा) एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षित आवगमन व अल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सम्पर्क कर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इन विद्यार्थियों के साथ प्रत्येक विद्यालय से संस्था प्रधान द्वारा आवश्यकतानुसार शिक्षकों को साथ भेजा जाएगा। एनसीसी व स्काउट के विद्यार्थी अपने गणवेश में भाग लेंगे। एनसीसी एवं स्काउट के बच्चों को तैयार करने एवं कार्यक्रम में भाग लेने हेतु सम्बन्धित संस्था के एनसीसी/स्काउट अध्यापक इस हेतु दायित्वबद्ध रहेंगे।

राज्य, जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा समस्त शेष विद्यार्थी विद्यालय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में उल्लिखितानुसार भाग लेंगे। प्रत्येक स्तर पर दायित्वबद्ध अधिकारी सौंपे गए कार्यों का सम्पादन निर्धारित समय में पूर्ण करते हुए कार्यक्रम को अधिकाधिक भव्य रूप से सम्पादित करना/करवाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न : यथोक्त।

(गौरव अग्रवाल)

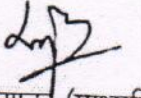
आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर।

9. समस्त उपखण्ड अधिकारी।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
12. समस्त संस्था प्रधान।
13. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
वीकानेर

राजस्थान सरकार  
कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

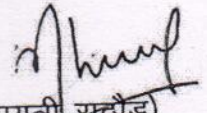
विषय:- दिनांक 02 अक्टूबर, 2022 को प्रस्तावित सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस (02 अक्टूबर, 2022) को विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर प्रदेश में राज्य स्तर, जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर प्रातः 11:00 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन नियत है।

दिनांक 24.09.2022 को मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त आयोजन को व्यापक एवं ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किये जाने तथा वृहद् जनसहभागिता के मद्देनजर विभिन्न विभागों के माध्यम से परिशिष्ट-1 पर संलग्न कार्ययोजना के अनुसार विभिन्न कार्य सम्पादित किये जाने हैं:-

अतः उक्त आयोजन के सम्बन्ध में कृपया उक्त कार्ययोजनानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(गायत्री साठौड)  
प्रमुख शासन सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/  
शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक

.....विभाग,  
राजस्थान सरकार।

अ.शा.टीप क्रमांक : प. 27(2)क.सं./2021 पार्ट प्रथम

जयपुर, दिनांक: 24/09/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव (जीबी) माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. रक्षित पत्रावली।

॥  
शासन संयुक्त सचिव

## सर्वधर्म प्रार्थना सभा

दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

समय: प्रातः 11:00 बजे

### -:कार्ययोजना:-

| क्रमांक | विभाग का नाम                                               | आवंटित कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदेश के समस्त जिलों के राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों, एनसीसी, स्काउड गाईड, एनएसएस की राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता/उपस्थिति सुनिश्चित करना।</li> <li>नोडल विभाग के रूप में चिन्हित प्रार्थनाओं की तैयारी, अभ्यास एवं सभी प्रार्थनाओं का प्रारूप समस्त प्रतिभागियों को उपलब्ध करवाना।</li> <li>विश्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित संस्था से सवन्धय एवं प्रमाण-पत्र की कार्यवाही।</li> <li>आयोजन स्थल पर विद्यार्थियों की व्यवस्था हेतु अधिकारियों एवं शिक्षकों की अलग-अलग टीम बनाकर नियुक्त करना।</li> <li>विद्यार्थियों के आवागमन, अल्पाहार आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था।</li> </ul> |
| 2       | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदेश के समस्त जिलों के राजकीय एवं गैर-राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, एनसीसी, स्काउड गाईड, एनएसएस, नेहरू युवा केन्द्र की राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता/उपस्थिति सुनिश्चित करना।</li> <li>चिन्हित प्रार्थनाओं की तैयारी, अभ्यास एवं सभी प्रार्थनाओं का प्रारूप समस्त प्रतिभागियों को उपलब्ध करवाना।</li> <li>आयोजन स्थल पर विद्यार्थियों की व्यवस्था हेतु अधिकारियों एवं शिक्षकों की अलग-अलग टीम बनाकर नियुक्त करना।</li> <li>विद्यार्थियों के आवागमन, अल्पाहार आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था।</li> </ul>                                                                                   |
| 3       | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।                | <ul style="list-style-type: none"> <li>राजीविका, स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित करना।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4       | स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार। | <ul style="list-style-type: none"> <li>समारोह स्थल (राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर) पर साफ-सफाई, रंगोली आदि की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार। | <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य स्तरीय आयोजन हेतु जिला कलक्टर, जयपुर से समन्वय कर मुख्य समारोह स्थल पर समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।</li> <li>राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर, साउण्ड सिस्टम, निमंत्रण-पत्र आदि व्यवस्था एवं राज्य स्तरीय समारोह हेतु माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, समस्त गणमान्य, जनप्रतिनिधिगण एवं प्रबुद्धजन आदि को आमंत्रित करना।</li> <li>आयोजन स्थल पर बैकड्राप, कटआउट, स्टैण्डी आदि की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से समन्वय कर व्यवस्था करना।</li> <li>समस्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित किये जाने बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश/परिपत्र जारी करना।</li> </ul> |
| 6  | गृह विभाग, राजस्थान सरकार।             | <ul style="list-style-type: none"> <li>समस्त आयोजन स्थलों पर विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुचारु आवागमन, यातायात एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7  | सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।      | <ul style="list-style-type: none"> <li>आमजन की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु कैम्पेन की तरह उक्त आयोजन हेतु सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार।</li> <li>आयोजन स्थल पर बैकड्राप, कटआउट, स्टैण्डी आदि की सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार से समन्वय कर व्यवस्था करना।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | महिला एवं बाल विकास विभाग              | <ul style="list-style-type: none"> <li>जिला स्तरीय कार्यालयों एवं ऑगनबाड़ी केंद्रों के समस्त कर्मिकों की संभाग स्तर, जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित करना।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय, जयपुर।     | <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में गांधीवादी विचारकों/चिंतकों की भागीदारी एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना।</li> <li>आयोजन हेतु आवंटित बजट राशि में से सम्बन्धित विभागों, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर हेतु निर्धारित राशि को उनको स्थानान्तरित/आवंटित किये जाने की समस्त कार्यवाही करना।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।                | <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य स्तरीय आयोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार से समन्वय कर मुख्य समारोह स्थल पर समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## (वैष्णव जन तो तेने कहिये.....)

वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे  
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे  
पर दुखखे उपकार करे तोये मन अभिमान ना आणे रे  
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे  
सकळ लोक मान सहने वंदे नींदा न करे केनी रे  
वाच काछ मन निश्चळ राखे धन धन जननी तेनी रे  
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे  
सम दृष्टी ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे  
जिहवा थकी असत्य ना बोले पर धन नव झाली हाथ रे  
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे  
मोह माया व्यापे नही जेने द्विद्व वैराग्य जेना मन मान रे  
राम नाम सुन ताळी लागी सकळ तिरथ तेना तन मान रे  
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे  
वण लोभी ने कपट- रहित छे काम क्रोध निवार्या रे  
भणे नरसैय्यो तेनुन दर्शन कर्ता कुळ एकोतेर तारया रे  
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे  
पर दुखखे उपकार करे तोये मन अभिमान ना आणे रे  
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे

## ‘दे दी हमें आज़ादी’

दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
रघुपति राघव राजा राम

धरती पे लड़ी तूने, अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप, ना बन्दूक चलाई  
दुश्मन के किले पर भी, ना की तूने चढ़ाई, वाह रे फ़कीर खूब करामात दिखाई  
चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
रघुपति राघव राजा राम

शतरंज बिछाकर यहाँ बैठा था ज़माना, लगता था के मुश्किल है फिरंगी को हराना  
टक्कर थी बड़े ज़ोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना  
मारा वो कस के दाँव के उलटी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
रघुपति राघव राजा राम

जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मज़दूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े  
हिंदू और मुसलमान, सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े  
फूलों की सैज छोड़ के, दौड़े जवाहर लाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
रघुपति राघव राजा राम

मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी  
वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझपे झुकती थी हिमालय की चोटी  
दुनिया में तू बेजोड़ था इन्सान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
रघुपति राघव राजा राम

जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लूटा दिया  
माँगा ना कोई तख्त ना कोई ताज भी लिया, अमृत दिया सभी को, मगर खुद ज़हर पिया  
जिस दिन तेरी चिता जली, रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल  
रघुपति राघव राजा राम

# धर्म वो ही एक सच्चा

धर्म वो ही एक सच्चा जगत को प्यार देवें हम  
जगत में दीन जन जितने, जगत में पद्दलित जितने  
उन्हें ऊपर उठावें हम, जगत को प्यार देंगे हम।  
सदा जो आर्त व्याकुल हैं, उन्हें सब ही सताते हैं  
उन्हें जाकर हंसावे हम, जगत को प्यार देवें हम।  
किसी को कष्ट नहीं देवें किसी को दुःख नहीं देवे  
सभी को बंधु मानें हम, जगत को प्यार देवें हम।  
प्रभु संतान हैं सारे सभी जन हैं उसे प्यारें  
भला क्यों नीच मानें हम, जग को प्यार देवें हम।  
धर्म का सार यह ही है सत्य का सार यह ही है  
परार्थ प्राण देवें हम, जगत को प्यार देवें हम।  
धर्म वो एक ही सच्चा जगत को प्यार देवें हम।